


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/डीपीसी वर्ष 2016-17/पदस्थापन/2016 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा क्र.सं. 19 पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 2907 एवं जयपुर मण्डल की वरिष्ठता क्रमांक 642 के आधार पर सुरजीत कौर नारंग- जन्मतिथि 01.07.70 की पदोन्नति की गई थी । वस्तु स्थिति के अनुसार कार्मिक सुरजीत कौर नारंग वरिष्ठ अध्यापक(अंग्रेजी) का स्थानान्तरण 2013 में जयपुर मण्डल से उदयपुर मण्डल में राउमावि बलीचा, गिरवा में होने के कारण 2005-06 की वरिष्ठता हेतु पात्र नहीं रहने के कारण इनकी पदोन्नति आदेश प्रत्याहरित किये जाते है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे । इनके आगामी पद स्थापन हेतु उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर को सुपुर्द किया जाता है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/डीपीसी-16-17/पदावन्नत/2018
प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 29/11/2018

1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अख्तार
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. अनुभाग अधिकारी OAC अनुभाग संस्थापन सी कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग कार्यालय हाजा
6. अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच कार्यालय हाजा
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित कार्मिक
9. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषानुसार पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध चयन हेतु की गई अभिशंषाओं में निम्नांकित कार्मिक के संबंध में चयन का निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया चूंकि निम्नांकित के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1958 के नियम 16/17 एवं 17-ई के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के निस्तारण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इन्हे नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :-

क्र0 स0	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम	जन्म तिथि	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	977 /90-91	श्री महेन्द्र सिंह, जन्म दिनांक 14.07.64, वरि0 977/90-91 डीपीसी वर्ष 14-15 में बंद लिफाफा, व्याख्याता-गणित, पदस्थापन स्थान:- रा0 उ0 मा0 वि0 गुढागौड जी, झुझून् (376PN)	14.07.64	2014-15 Sch-III LEC	अनिल कुमार सक्सेना	16-07-64	881 /89-94
					मानण चन्द जैन	08-05-55	1052/ 89-94

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प0 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसा कोई भी कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद को निर्धारित योग्यताधारित नहीं करने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1A/डीपीसी/बंद लिफाफा/प्रधानाचार्य/2017-18 दिनांक : 01/02/18
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. प्रभाग बी-1 एवं बी-2 को पदस्थापन हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
9. रक्षित पत्रावती

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर